119
131

प्रमुख सचिव
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय- कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव- गिरल माइनिंग प्रोजेक्ट में श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में।

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि शिव विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान स्टेट माइन एण्ड मिनरल के गिरल प्रोजेक्ट मे वर्ष 1995 से कोयले का उत्खनन हो रहा है। यहां कार्यरत श्रमिकों की कार्य स्थितियाँ अत्यंत विकट हैं। इन्हें महीने में केवल 2 दिन का अवकाश दिया जाता है तथा एक भी अतिरिक्त दिन के अवकाश पर पूरा वेतन काट लिया जाता है। निर्धारित घंटों से अधिक समय 12-12 घंटे तक काम करवाया जाता है। कार्य करने के दौरान उनकी सुरक्षा के जरूरी मापदंडो को भी नजरअंदाज किया जाता है तथा हेलमेट, जूते, जैकेट, चश्मा इत्यादि कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। वस्तुतः इस प्रोजेक्ट में श्रमिक कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।

मैं इस ध्यानआकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गिरल माइनिंग प्रोजेक्ट के श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

भवदीय,

(रविन्द्र सिंह भाटी)

विभाजन संख्या- 126